न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 84 / 2020 – निगरानी

1. जहीर खां पिता मोहम्मद जमील निवासी भदालीखेड़ा हाल निवासी मोहमदी कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा

–निगराकार

बनाम

1. रेशमा पुत्री मोहम्मद हनिफ खान निवासी भदालीखेड़ा हाल मुकाम मोहमदी कॉलोनी शास्त्री नगर भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत आरजिया, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत आरजिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा

– गैर निगराकार

विरूद्ध संकल्प संख्या 02 आदेश दिनांक 20–10–2017, पट्टा संख्या 19 दिनांक 20.08.2017 को ग्राम पंचायत आरजिया, पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम

उपस्थित –

1. अधिवक्ता श्री मोहम्मद वासीफ खान पठान – निगराकार की ओर से
2. अधिवक्ता श्री सबदर अली – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.01.2025

निगराकार द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत विपक्षीगणो के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर निगराकार संख्या 01 का आवासीय पट्टा जो संकल्प संख्या 02 आदेश दिनांक 20–10–2017, पटटा संख्या 19 दिनांक 20.08.2017 को गैर निगराकर संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया है, जो फर्जी व कुटरचित एवं मिथ्या होने की वजह से निरस्त होने योग्य है एवं गैर निगराकार संख्या 01 ने गैर निगराकार संख्या 02 से मिलीभगत कर पट्टा जारी कर उप पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा से पंजीयन करवाया लिया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। निगराकार के चाचा सलीम मोहम्मद पिता अहमदनुर जी पठान को आज से करीब 60 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत मालोला द्वारा भूखण्ड दिया गया, जो तत्कालीन प्रचिलित विधिनुसार दिया गया था, जिस पर निगराकार के चाचा सलीम मोहम्मद पिता अहमदनुर पठान के नाम पर जारी किया गया था तथा निगराकार के चाचा सलीम मोहम्मद पिता अहमदनुर जी पठान का जीवनपर्यन्त उसका कब्जा रहा था तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त निगराकार की चाची फीरोज बानु एवं उनके वारिसान जो अभी वर्तमान में जीवित है, का कब्जा निर्बाद

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा